कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेलः–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाषः– 0744–2500194

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/3945 दिनांक : 20-8-20

निमित्त,

उप वन संरक्षक
कोटा।

विषय :– Land For Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Simit (FP/RJ/Other/20036/2016)

प्रसंग :– आपका पत्रांक एफ ( )उवसं/तक./2020/6290 दिनांक 24.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 19.06.2020 को सचिव कृषि उपज मण्डी (अनाज) कोटा के साथ कार्यालय में विचाराधीन प्रस्ताव के संबंध में वार्ता हेतु उपस्थित हुए थे एवं 96 है0 वनभूमि के प्रस्ताव को सक्षम स्वीकृति हेतु अग्रेषित करवाने हेतु पूर्तियां करवाने का आश्वासन दिया था। दिनांक 19.06.2020 को तत्कालीन संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा आपके साथ प्रस्ताव की समीक्षा की गई एवं ई0डी0एस0 की बिन्दुवार पालना के साथ मौके की वस्तुस्थिति एवं वनभूमि पर अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने हेतु कहा गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के परिपत्र एफ 16 (Circular)2005/एफसीए/प्रमुवसं/1408–22 दिनांक 12.06.2020 में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालना तैयार कर प्रस्ताव नही भिजवाया है।

ई0डी0एस0 दिनांक 16.05.2018 की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट एवं पत्रांक 3065 दिनांक 01.07.2020 में दिये गये बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी टिप्पणी /अभिशंषा के साथ प्रस्ताव भिजवावे। उक्त के साथ ही निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता हैः–

1. प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्नक पत्रादि पर हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम अंकित नही है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प 10(1)प्रसु/अनु/–1/2012 दिनांक 27.06.2019 की पालना के अनुसार हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम/पद अंकित करावें।
2. प्रस्ताव अग्रेषित करने के दौरान मुख्य पत्र में आपने स्पष्ट अनुशंषा/राय अंकित करना आवश्यक है।
3. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र (74+22 ha.) अर्थात 96 है0 मात्र का ही उल्लेख है। इसके साथ आस–पास की उपज मण्डी से लगी वनभूमि जिस पर अतिक्रमण है अथवा सक्षम स्वीकृति के बिना ही गैर वानिकी कार्य के लिए जबरन काम में ले ली गई उस वनभूमि के बारे में कोई उल्लेख/टिप्पणी नहीं है।
4. अधिरोपित शर्त संख्या 5 के संबंध में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कोई टिप्पणी दी गई है तो वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

अतः पालना रिपोर्ट मूल ही आवश्यक पूर्तियां करने हेतु लौटाकर लेख है कि निर्देशानुसार पूर्ण पालना रिपोर्ट संकलित कर भिजवावे। प्रमुख शासन सचिव (वन) राज0 जयपुर द्वारा इस प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 17.07.2020 की वीडियों कान्फ्रेस में दिये गये निर्देशों की ओर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट कर लेख है कि पूर्ण पालना के साथ प्रस्ताव शीघ्र अग्रेषित करें।

संलग्नः– पालना रिपोर्ट 3–प्रस्ताव।

भवदीय

(मनोज पाराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/ दिनांक :

प्रतिलिपि अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राज0 जयपुर को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) अनन्तपुरा जिला कोटा को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही तथा अनुपालना तैयार करनवाने हेतु पृष्ठांकित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा